

छावनी परिषद, मथुरा

सूचना

भारत सरकार, कार्मिक, लोक और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के आदेश सं० 11013/9/2014-Estt.A.III दिनांक 17.03.2020 के अन्तर्गत निर्गत सलाह के क्रम में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) के दृष्टिगत जनहित में कार्यालय छावनी परिषद, मथुरा परिसर में आम जनता के लिए, बिना अतिआवश्यक कार्य के प्रवेश अग्रिम आदेश तक निषेध रहेगा। उपरोक्त कार्यालय परिसर में प्रवेश निषेधाज्ञा हटाने की सूचना यथोचित जारी की जायेगी।

अतिआवश्यक कार्य की स्थिति में पूर्व सूचना कार्यालय के ईमेल cbmathura@dgest.org पर अथवा दूरभाष सं० 0565-2470178 पर प्रदान की जा सकती है।

संख्या: सीबीएम/ओ.एस./विविध/537/

दिनांक: 19 मार्च, 2020।

मुख्य अधिशाषी अधिकारी
मथुरा छावनी
(नागेश कुमार पाण्डेय)